FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलैक्टर फास्ट ट्रैक श्रीमाधोपुर (सीकर)

महेन्द्र कुमार बनाम् भूमिधारी

किस्म मुकदमा :–दावा अ.धा. 88,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर: 22/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
02.02.2024	वादी की और से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें एवं वादपत्र मे वर्णित तथ्यो की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी होकर पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।	
19.02.2024	वकील वादी उपस्थित, प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी स्वयं का शपथ–पत्र व गवाह मुकेश मीणा व अजय सिंह का शपथ–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी के निवेदन प्रकरण मे बहस अंतिम सुनी जाकर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथक से लिखवाया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 19/02/24	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2024	2024/38	02.02.2024	19.02.2024

उनवान प्रकरण

1. महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा आयु वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

-- वादी--

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0) ----प्रतिवादीगण
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम
4. मोनू पुत्री कालूराम
5. सोनू पुत्री कालूराम
6. ममता पुत्री कालूराम
7. निर्मला कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासीगण सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

----तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

19/02/24
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री निखिल शर्मा एड. तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत् दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1526, 1534, 1567, 1673/1872, 1756 कुल किता 5 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1742, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 कुल किता 6 कुल रकबा 3.74 हैक्टर तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। वादपत्र में वर्णित भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता मृतक कालूराम पुत्र रामकुंवार का गलत नाम श्योबक्स पुत्र रामकुंवार दर्ज हैं जबकि वादी व तरतीबी के पिता का सही नाम कालूराम पुत्र रामकुंवार ही हैं। तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के समस्त रिकार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, घर का बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि समस्त में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता का सही नाम कालूराम पुत्र रामकुंवार ही है। वादपत्र की मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: Self Attested

19/02/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमि में राजस्व कर्मचारियो, पटवारी हल्का आदि द्वारा वादी के पिता का नाम सहवन से श्योबक्स पुत्र रामकुंवार दर्ज कर दिया जबकि सही नाम कालूराम पुत्र रामकुंवार सही एवं शुद्ध नाम हैं जिसे वादी दुरूस्त कराने की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी को उक्त गलत इन्द्राज बाबत पूर्व में कोई जानकारी नही रही हैं, ना ही वादी को कभी इसकी आवश्यकता ही महसूस हुयी है, परन्तु अब वादी के पिता का देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का नामान्तरण करवाने हेतु वादी ने अब अपनी जमाबंदी की नकल निकलवायी तब वादी को जानकारी हुयी तब वादी ने राजस्व रिकार्ड में उक्त अशुद्धि को शुद्धि करने हेतु पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय से कागजात दिखाकर निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय से शुद्धि कराने बाबत कहा गया।

राजस्व कर्मचारियो ने गलती से वादी के पिता का नाम कालूराम पुत्र रामकुंवार के बजाय श्योबक्स पुत्र रामकुंवार दर्ज कर दिया जो कि दुरूस्तनीय है। इस कारण वादी के पिता का नाम श्योबक्स पुत्र रामकुंवार के स्थान पर कालूराम पुत्र रामकुंवार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त गलत इन्द्राज से वादी को सख्त हकतल्फी है। वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुविधाओ से वादी को वंचित होना पड रहा है व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण नही हो पा रहा है। इस कारण उक्त शुद्धि [illegible]ना न्यायहित में अति आवश्यक है। बिनाय दावा पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा वादी को सही नाम दर्ज कराने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर शुद्धि कराने बाबत कहने से वादपत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने बाबत तहरीर जारी की गयी। जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट जरिये पत्रांक क्रमांक/भू.अ.24/296 दिनांक 08.02.2024 के प्राप्त हो जाने से प्रतिवादी को सम्मन जारी नही किये गये।

वादी महेन्द्र का मुख्य परीक्षण का शपथ-पत्र व गवाह मुकेश मीणा एंव अजयसिंह का मुख्य परीक्षण के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे रिकार्ड पर लेकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील/वादी ने बहस मे दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड एंव व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें वादी के पिता का नाम कालूराम पुत्र रामकुंवार सही एंव वास्तविक पाया गया जिसके अनुसार वादपत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी क पिता का नाम श्योबक्स पुत्र रामकुंवार के स्थान पर कालूराम पुत्र रामकुंवार दुरूस्त किया जाता हैं। अतः उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का [illegible] बाबत दुरूस्ती राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

19/02/24

रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1526, 1534, 1567, 1673/1872, 1756 कुल किता 5 कुल रकबा 1.78 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1742, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 कुल किता 6 कुल रकबा 3.74 हैक्टरतन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के राजस्व रिकार्ड में अंकित श्योबक्स पुत्र रामकुंवार के स्थान पर कालूराम पुत्र रामकुंवार दर्ज किया जाता है तथा उक्त भूमि पर पूर्व से चला आ रहा बैंक रहन यथावत दर्ज किया जाता है इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

19/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested